UPAD010031912019

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1, इलाहाबाद।

पीठासीन : राम किशोर शुक्ल, (एच.जे.एस.)

दांडिक निगरानी सं0– 63 सन् 2019

कमल किशोर पंजाबी पुत्र राम लाल निवासी पंजाबी कालोनी चकभटाही, थाना नैनी, जनपद इलाहाबाद/प्रयागराज। हाल मुकाम 49, रिफ्यूजी कालोनी, नैनी, थाना नैनी, प्रयागराज/इलाहाबाद। .....निगरानीकर्ता

बनाम

1. राज्य उ0 प्र0
2. डा0 शेखर श्रीवास्तव पुत्र विष्णु सहाय श्रीवास्तव
3. श्रीमती लता श्रीवास्तव पत्नी डा0 शेखर श्रीवास्तव

निवासी 118/3, लेबर कालोनी, नैनी, प्रयागराज/इलाहाबाद। हाल मुकाम/वर्तमान पता–104/17ए, चकभटाही, कालोनी नैनी, इलाहाबाद/प्रयागराज।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. उपरोक्त दांडिक निगरानी धारा 397 (1)दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट करछना, प्रयागराज/इलाहाबाद द्वारा वाद संख्या 17/T20190203050004616/2015, सन् 2018–2019 डा0 शेखर श्रीवास्तव व अन्य बनाम कमल किशोर पंजाबी व अन्य से सम्बंधित मामले में धारा 145 (1) व धारा 146 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांकित 01.01.2019 के विरूद्ध योाजित की गयी है। आलोच्य आदेश के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही से सहमति व्यक्त करते हुए उभयपक्ष को उक्त विवादित भवन के सम्बंध में अपने–अपने साक्ष्यों एवं अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया है।

. इस मामले से सम्बंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि डा0 शेखर श्रीवास्तव द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट करछना, प्रयागराज के समक्ष प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मकान नं0 104/17ए स्थित मोहल्ला चकभटाही न्यू कालोनी नैनी, परगना अरैल, तहसील करछना, प्रयागराज को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2004 को क्रय किया। उक्त मकान की चौहद्दी पूरब व पश्चिम रास्ता उत्तर जमीन आर0के0 द्विवेदी बादहू भोला प्रजापति, दक्षिण सरकारी सड़क जिसमें बैनामा की तिथि पर ही नौ दुकाने भूतल में 51.71 वर्गमीटर में बनी रही। उक्त मकान का सम्पूर्ण रकवा 227.5 वर्गमीटर है।

शेष भवन आवासीय है जिसमें लान व फेटियार्ड खुला है। ऊपर की मंजिल में 193.10 वर्गमीटर में आवासीय भवन है। इसी भवन में प्रथम पक्ष निवास भी करते है। प्रथम पक्ष के मकान में स्थित दुकानों में द्वितीय पक्षगणों द्वारा जबरन कब्जा करने का कृत्य माह नवम्बर 2018 में उत्पन्न होने पर प्रथम पक्ष द्वारा इलाकाई पुलिस को सूचना भी दी जा चुकी है, जिसपर द्वितीय पक्षगणों द्वारा एकजुट होकर प्रथम पक्ष के उपराक्त दुकानों पर जबरिया कब्जा करने व प्रथम पक्ष को व उनके परिवार पर जानलेवा हमला किये जाने, धमकी पर शान्ति व्यवस्था भंग होना सम्भाव्य हो गया। यदि यथाशीघ्र उक्त दुकानों को कुर्क नहीं किया जाता तो शान्ति व्यवस्था भंग होकर संगीन घटना घटित हो सकती है। द्वितीय पक्षगणों की कोई विधिक मालिकाना हक व दुकान प्रथमपक्ष के दुकानों से न कभी रही है और न ही है। द्वितीय पक्ष के लोग भूमाफिया गिरोह के होने के कारण प्रथम पक्ष के विकलांगता का नाजायज फायदा उठाकर संगीन घटना घटित करने पर आमादा है। अतः उक्त मकान के भूतल पर निर्मित 1 लगायत 9 दुकानों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की कार्यवाही कर धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कुर्क करने की कृपा करें अन्यथा किसी भी समय शान्ति भंग होकर संगीन घटना घटित हो सकती है।

इस सम्बंध में थाना नैनी, इलाहाबाद से उप जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त के सम्बंध में आख्या आहूत की गयी तो निरीक्षक नैनी, इलाहाबाद ने अपनी आख्या दिनांकित 08.12.2018 व दिनांक 15.12.2018 प्रेषित कर उपरोक्त भवन के भूतल में बनी दुकान नं0 2 लगायत 9 के सम्बंध में धारा 145 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही कर दौरान सुनवाई धारा 145(1) में कुर्क किये जाने की संस्तुति की गयी।

अवर न्यायालय/उप जिलाधिकारी, करछना,इलाहाबाद द्वारा थानाध्यक्ष, नैनी, इलाहाबाद की उपरोक्त जांच आख्या के साथ संलग्न नक्शा–नजरी का अवलोकन करने के उपरान्त इस तथ्य से स्वयं को सन्तुष्ट किया कि उक्त प्रकरण को लेकर उभयपक्ष द्वारा किसी भी समय परिशान्ति भंग की जा सकती है, अतः आवश्यक समझते हुए विवादित भवन में बनी विवादित दुकानों को इस निर्देश के साथ कुर्क करते हुए उभयपक्ष दिनांक 16.01.2019 को उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया।

आलोच्य आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्ता कमल किशोर पंजाबी ने यह दांडिक निगरानी इस आधार पर योजित की है कि उप जिला मजिस्ट्रेट करछना, इलाहाबाद/प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2019 विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 01.01.2019 पुनरीक्षणकर्ता व अन्य का पक्ष सुने बिना व साक्ष्य देखे बिना पारित किया गया हैं पुनरीक्षणकर्ता उक्त विवादित दुकान का किरायेदार है। उक्त विवादित भवन में स्थित दुकान के पूर्व स्वामी श्रीमती प्रमिला केसरी पत्नी हरिराम ने वर्ष 1978 में कौशल्या देवी से जमीन क्रय करके उसमे मकान व दुकान बनवाया था

जिसमें वर्ष 1980 में श्रीमती प्रमिला केसरी पुनरीक्षणकर्ता के पिता स्व0 राम लाल को दुकान चलाने हेतु किराये पर दिया जिसमें के0के0 भवानी जनरल स्टोर के नाम से पुनरीक्षणकर्ता के पिता जनरल स्टोर की दुकान खोले और उनकी मृत्यु के बाद उक्त दुकान को पुनरीक्षकर्ता किराये पर चला रहा है। निर्धारित किराया नियमित रूप से पूर्व मकान मालिक को भी वह देता रहा है एवं विपक्षी द्वारा क्रय किये जाने के पश्चात उक्त दुकान का किराया नियमित रूप से प्रतिमाह विपक्षीगण को दे रहा है। पुनरीक्षणकर्ता का पक्ष सुने बिना अवैधानिक रूप से उक्त दुकान को खाली कराने के लिए पुलिस थाना से मिलकर विपक्षी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया और न्यायालय ने बिना पुनरीक्षणकर्ता का पक्ष सुने सरसरी तौर पर उक्त आदेश दिनांक 01.01.2019 पारित किया है जो असंवैधानिक एवं खंडित किये जाने योग्य है। सम्बंधित थाना नैनी की आख्या दिनांक 08. 12.2018 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विवादित भवन में स्थित दुकान मे पुनरीक्षणकर्ता दुकान कर रहा है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि तथाकथित विवादित दुकान पर पुनरीक्षणकर्ता का कब्जा था और उसमें वह दुकान चला रहा था अर्थात वह विधिमान्य उक्त भवन का किरायेदार है, अवैधानिक तरीके से उक्त दुकान को खाली कराने के लिए बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये शान्ति भंग की आशंका के आधार पर बिना किसी साक्ष्य के उक्त आदेश दिनांक 01.01.2019 पारित किया गया है। विपक्षी के प्रार्थनापत्र पर सम्बंधित थाने की आख्या से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता का उक्त दुकान पर कब्जा है और वह भवन स्वामी असंवैधानिक तरीके से उक्त दुकान को खाली कराना चाहता है। भवन स्वामी के अवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिना किसी विधिमान्य साक्ष्य के एवं विधिक प्रक्रिया के अभाव में उक्त आदेश पारित किया गया है। अतः पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.01.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी पर बल देने हेतु कोई भी नहीं है। यह सुस्थापित विधि है कि आपराधिक निगरानी का निस्तारण गुणदोष पर ही किया जाना चाहिए। अतः निगरानी से सम्बंधित सभी प्रपत्रों का परिशीलन किया।

विद्वान उप जिला मजिस्ट्रेट, करछना द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 01. 01.2019, प्रभारी निरीक्षक, नैनी की आख्या दिनांकित 15.12.2018 से सहमत होकर ग्राम चक भटाही नैनी, तहसील करछना, प्रयागराज स्थित भवन सं0 104/17ए में भूतल पर बनी दुकानें जिन्हें नक्शा–नजरी में 2 लगायत 9 के रूप में दर्शित किया गया है, को कुर्क किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, क्योंकि प्रश्नगत दुकानें व संलग्न भवन पर कब्जा डा0 शेखर श्रीवास्तव का होना पुलिस जांच में पाया गया था तथा रिवीजनकर्ता व अन्य उक्त दुकानों में से दो दुकानों का अपने को स्वामी बता रहे थे। इस प्रकार विवाद की स्थिति के चलते कभी भी शान्ति भंग की आंशंका थी। साथ ही विद्वान अवर न्यायालय के

आदेश दिनांक 01.01.2019 के अनुपालन में पुलिस थाना नैनी द्वारा कृत कुर्की की कार्यवाही दिनांक 12.01.2019 में रिवीजनकर्ता भी सम्मिलित व उपस्थित रहा है।

प्रश्नगत आदेश विद्वान अवर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पारित किया गया है एवं किसी भी रूप में अनियमित, अविधिक व त्रुटिपूर्ण या संदिग्ध होना नहीं पाया जाता है। अतः रिवीजन संधार्य नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत रिवीजन निरस्त किया जाता है। प्रश्नगत आदेश पुष्ट किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बंधित न्यायालय को वापस की जाय।

रिवीजन पत्रावली दाखिल–दफ्तर हो।

(राम किशोर शुक्ल)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1,
इलाहाबाद ।
(आई0डी0नं0–UP-5741)

दिनांक 10.02.2021

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित करके सुनाया गया ।

(राम किशोर शुक्ल)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 1,
इलाहाबाद ।
(आई0डी0नं0–UP-5741)

दिनांक 10.02.2021
वी.सी. मिश्र